

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक-3620/11-सी- FP/UP/Others/36498/2018, लखनऊ, दिनांक: जून 07, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद-अमरोहा में अमरोहा-कैलसा-पाकबड़ा मार्ग किमी० चैनेज 3.950 की दांयी पटरी पर ग्राम पचौकरा मेहरवान अली तह० व जिला अमरोहा की खसरा संख्या-118 पर न्यू होटल विशाल फार्मस के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.029312 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
प्रस्ताव FP/UP/Others/36498/2018

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8बी०/यू०पी०/०६/157/2023/एफ०सी०/544, दिनांक-12.03.2024

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद ने अपने पत्रांक-2889/14-1 दिनांक 20.05.2024 द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि अपलोड है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

18

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-3620/11-सी FP/UP/Others/36498/2018 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा।
- 3- प्रबन्धक, होटल विसाल फार्मस हाउस विलेज पंचकोरा मेहरवान अली, अमरोहा।

18

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-3620/11-सी FP/UP/Others/36498/2018, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

18

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

ई-मेल द्वारा

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक-3889 / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद 05-2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:-

जनपद अमरोहा में अमरोहा-कैलसा-पाकवड़ा मार्ग किमी० चैनेज 3.950 की दांयी पटरी पर ग्राम पचौकरा महरवान अली तह० व जिला अमरोहा की खसरा संख्या-118 पर नयू होटल विशाल फार्मस के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.029312हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। File No. FP/UP / Others/ 36498/2018

सन्दर्भ:-

भारत सरकार की पत्र संख्या-8B/UP/06/157/2023 /FC/544 दिनांक 12.03.2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में वांछित सूचना/अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा ने अपने पत्रांक-3417 / 14-1 दिनांक 16.05.2024 द्वारा ऑनलाईन कर प्रेषित किया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा द्वारा प्रेषित वांछित सूचना/अभिलेख सहमति सहित ऑनलाईन इस आशय से प्रेषित है कि कृपया विषयक प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

संख्या 3889 / 14-1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा को उनके पत्र दिनांक 16.05.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।